संख्या–529 / –आ–4–1999

प्रेषक, **श्री राजकुमार सिंह,**
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1. समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
विकास / प्राधिकरण,
लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी,1999

विषय, : पट्टागत नजूल भूमि के फ्री–होल्ड विक्रय विलेख के निष्पान में स्टैम्प ड्यूटी में छूट–विलेख का निष्पादन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पट्टगत नजूल भूमि को फ्री–होल्ड में परिवर्तित किये जाने के क्रम में फ्री–होल्ड विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने हेतु शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 1999 (प्रति संलग्न) निर्गत की जा चुकी है। नजूल भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने विषयक विधिक डीड का प्रारूप शासनादेश संख्या–1803 / 9–आ–4–95–293 एन / 90 दिनांक 26 सितम्बर, 1995 के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। चूँकि शासनादेश संख्या–2268 / 9–आ–4–98–704 एन / 97, दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि फ्री–होल्ड की समस्त कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। अतः निष्पादित की जाने वाली फ्री–होल्ड विषयक विधिक डीड में उक्त शर्त का भी समावेश कर दिया जाय।

भवदीय,

राजकुमार सिंह
अनुसचिव

संख्या–549(1) / 9–आ–4–99 तद दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनु सचिव